स्टेट बनाम ईश्वरगिर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये |
|---|---|---|
| 28/8/2024 | पत्रावली पेश हुई। राजपेरोकार उपस्थित। प्रतिवादी स्वयं व वकील प्रतिवादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादी के अधिवक्ता को आवाज लगाई गई फिर भी उपस्थित नहीं होने की सूरत में प्रतिवादी के खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में ली जाती है। राजपेरोकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 517/1 की 5.059 है., 514 की 0.835 है. कुल 5.894 है. भूमि पर प्रतिवादी द्वारा जिप्सम का खनन किया जा रहा है। उक्त कृषि भूमि राज्य सरकार द्वारा प्रतिवादी को कृषि कार्य हेतु दी गई है लेकिन प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि पर अवैध रूप से जिप्सम खनन किया जा रहा है। अतः वादी वादी डिक्री किया जाता है तथा रोही मौजा मायला के ख. नं. 517/1 की 5.059 है., 514 की 0.835 है. कुल 5.894 है. भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 28/8/2024 को सुनाया गया।<br>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:29:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी. रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 21/2018 अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) पल्लू जिला हनुमानगढ।

बनाम

ईश्वरगिर पुत्र गोपालगिर जाति गुसाई निवासी मायला तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादी

उपस्थितः– पेरोकार राज–वादी

निर्णय दिनांक– 28/8/2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष पेरोकारराज तहसीलदार राजस्व पल्लू उपस्थिति में वाद वादी डिक्री करते हुए रोही मौजा मायला के ख.नं. 517/1 की 5.059 है., 514 की 0.835 है. कुल 5.894 है. भूमि को आराजीराज दर्ज की जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 28/8/2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.31 16:29:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner